# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
|---|

कैलाश बनाम जयनारायण

प्रार्थना पत्र संख्या— 02/227/2024

**18.10.2024**

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा असल अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 3881/0.0300, 3882/0.0300, 3883/0.0300, 3946/0.1200, 3952/0.1800, 3953/0.5500, 3954/0.0700, 3955/0.1000, 3956/0.1000, 3957/0.0800, 3958/0.0800, 3959/0.1300, 3960/0.0800 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादी को उनके 1/18 हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें। ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल नही करें न स्वयं कब्जा करें तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग को दीगर किसी को जरिये रहन बय हिबा आदि के मुन्तकिल नही करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिर्काड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 3881/0.0300, 3882/0.0300, 3883/0.0300, 3946/0.1200, 3952/0.1800, 3953/0.5500, 3954/0.0700, 3955/0.1000, 3956/0.1000, 3957/0.0800, 3958/0.0800, 3959/0.1300, 3960/0.0800 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 27.11.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

SSK

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

| तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | 27/11/24<br>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। श्री S.R. वशिष्ठ द्वारा 1 जवा. 7 व 11 जवा. 18 की ओर से पेश। वास्ते शेष तलबी व पेश होने ~~हो~~ जवाब/वकालतनामा 7 जवा. 7 व 11 जवा. 18 दिनांक 29/01/25 को पेश हो।<br>SDO<br>29/01/25<br>पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो।<br>रीडर |
| कैलाश दी 3/4/2 | 06/08/25 पत्रावली एकजाई पेशी से दि. 17/9/25 नियत हो मुलवाद के को नोट प्रेस मे खारीज होने के कारण प्रा. पत्र 212 भी नोट प्रेस मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद उनि जमा मुलवाद के साथ मण्जर हो।<br>SDO |